



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1726/2013 जिला टोंक.....

उनवान -श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज, टोंक बनाम सी टी ओ वसूत एल, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ, कैम्प जयपुर</u> <u>श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष</u> <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी/वकील प्रार्थी श्री यशस्वी शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी / श्री यशस्वी शर्मा ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम, वर्ष 2015 दिनांक 09.02.2015 क लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत अपील को विद्झा करना चाहते हैं। इस बाबत् अपीलार्थी/श्री यशस्वी शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>अतः अपीलार्थी / श्री यशस्वी शर्मा एडवोकेट का अपील विद्झा करने का निवेदन स्वीकार करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विद्झावल खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (सुनील शर्मा) सदस्य</p> <p style="text-align: center;"> (राकेश श्रीवास्तव) अध्यक्ष</p>	